

राजनीतिक दलों के आय और व्यय का विश्लेषण :

वित्तीय वर्ष 2019-20

(18 अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध ऑडिट विवरण)

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

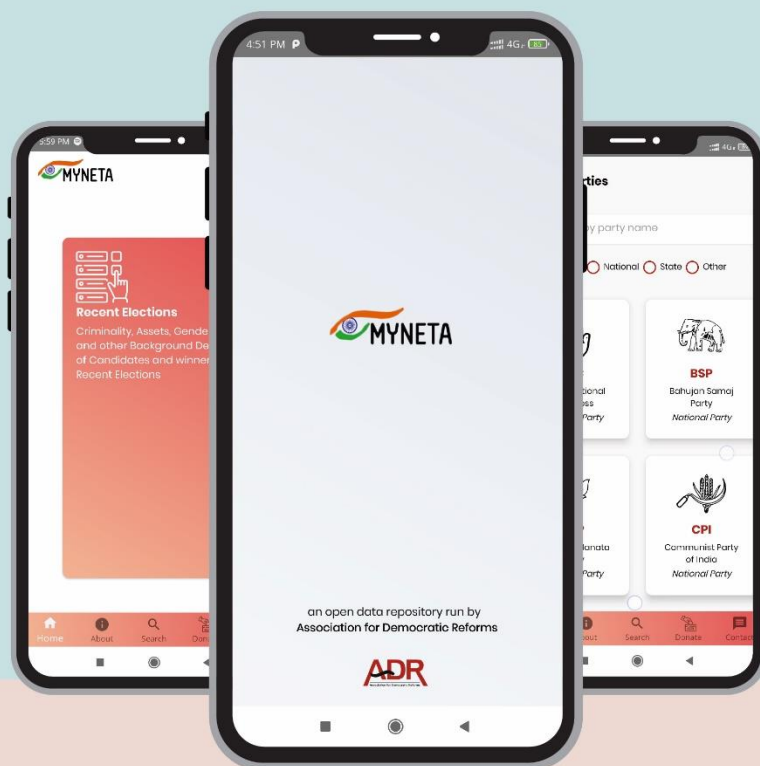
पता: टी- 95 दूसरा मंजिल, सी एल हाउस, गौतम नगर
नई दिल्ली – 110049

ईमेल: adr@adrindia.org; दूरभाष : 011- 4165 4200



**Association for Democratic Reforms and
National Election Watch present**

THE UPGRADED
MYNETA APP



DOWNLOAD TODAY!

And be a part of our **#MeraVoteMeraDesh** Campaign



Scan the QR code to download

Visit our website:

www.adrindia.org
www.myneta.info

एडीआर को दान करें

आगामी राज्य विधान सभा चुनावों के लिए हमारे अभियान "मेरा वोट, मेरा देश" का समर्थन करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। अभियान का उद्देश्य **राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण** को खत्म करना है, **उम्मीदवारों और दलों** पर सूचना के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को सशक्त बनाना है।

आप नीचे दिए गए क्यूआर कोड का उपयोग करके हमें दान दे सकते हैं या हमारी वेबसाइट के [दान लिंक](#) तक पहुंच सकते हैं।



एडीआर स्पीक्स पॉडकास्ट

“एडीआर स्पीक्स” चुनावी और राजनीतिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला है। एडीआर के रिपोर्ट के विश्लेषण से उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के विवरण, राजनीतिक दलों की आय के स्रोत, चुनावी खर्च और चुनावी बांड्स आदि के निष्कर्षों पर उपाख्यानो द्वारा ध्यान केंद्रित करते हैं। उपाख्यानो की श्रृंखला में एडीआर ने आम जनता तक पहुंचने के लिए अपने रिपोर्टों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सरलता से समझाया है, इससे वे एक स्वतंत्र और सूचित विकल्प बनाने में सक्षम होंगे। एडीआर अपनी पॉडकास्ट के द्वारा भारत की लोकतान्त्रिक राजनीति से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों, अनुसन्धान विद्वानों, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और पूर्व चुनाव अधिकारियों आदि के साथ भी चर्चाएं करेगा।
एडीआर वेबसाइट पर एपिसोड तक पहुंचने के लिए कृपया आइकन पर क्लिक करें।



Listen to Our Podcast on



Other platforms



सारांश

राजनीतिक दल विभिन्न स्त्रोतों से दान प्राप्त करते हैं इसलिए जवाबदेही और पारदर्शिता उनके कामकाज का महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। व्यापक और पारदर्शिता लेखा प्रणाली के लिए आवश्यक है कि पार्टियां सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करें।

भारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई.) ने 19 नवम्बर, 2014 को राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/महामंत्रियों को सम्बोधित करते हुए अपने [पत्र](#) में लिखा कि सभी दलों को उनकी ऑडिट रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, **19 दलों** (2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दल) का ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग के वेबसाइट में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में इन्हीं 19 दलों की आय और व्यय का विश्लेषण किया है।

दो राष्ट्रीय दलों में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) शामिल हैं।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट - वित्तीय वर्ष 2019-20

- दलों द्वारा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियमित तिथि 31 अक्टूबर 2020 थी।
- **19 दलों** (2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दल) में से केवल **दो दलों** ने ही अपना ऑडिट रिपोर्ट समयसीमा के अंतर्गत जमा किया है जबकि **17 दलों** ने अपना ऑडिट रिपोर्ट **11 दिनों** से लेकर **78 दिनों की देरी के बाद** जमा किया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, **6 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय दलों** का ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आज की तारीख तक उपलब्ध नहीं है। इनमें प्रमुख राजनीतिक दल जैसे **बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, एनपीडपी, वाईएसआर-सी, एसडीएफ, आम आदमी पार्टी, डीएमडीके, आरजेडी, शिवसेना, जैडएनपी, एआईएमआईएम और बीपीएफ** आदि दल शामिल हैं।

National & Regional Parties: Due date for submission: 31st Oct,'20					
National Political Parties					
S.No.	Political Party	Party Code	Status of submission	Date of submission	No. of days by which delayed
1	Bahujan Samaj Party	BSP	Submitted	29-Dec-20	58 Days
2	All India Trinamool Congress	AITC	Submitted	10-Jan-21	70 Days
3	Communist Party of India (Marxist)	CPM	Audit reports are not available on the ECI website (As on 18 April, 2021)		
4	Bhartiya Janata Party	BJP			
5	Indian National Congress	INC			
6	Nationalist Congress Party	NCP			
7	Communist Party of India	CPI			
8	National People's Party	NPEP			

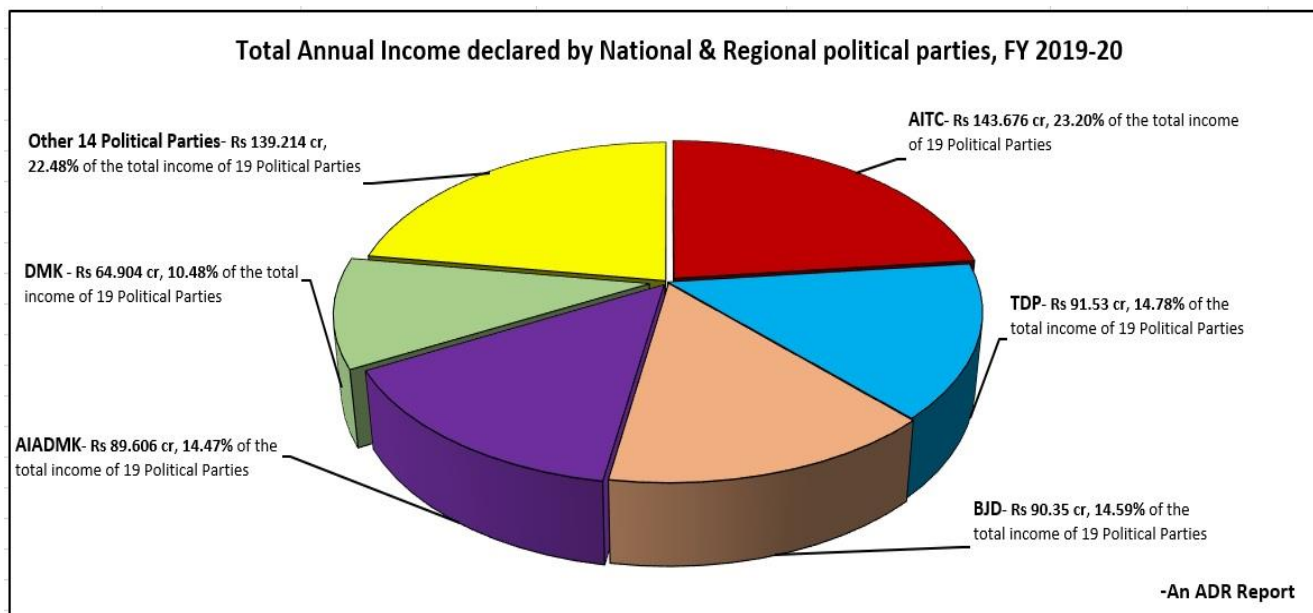
Regional Political Parties					
S.No.	Political Party	Party Code	Status of submission	Date of submission	No. of days by which delayed
1	People's Democratic Alliance	PDA	Submitted	13-Jul-20	-
2	Rashtriya Lok Dal	RLD	Submitted	29-Sep-20	-

Regional Political Parties					
S.No.	Political Party	Party Code	Status of submission	Date of submission	No. of days by which delayed
3	Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	JKPDP	Submitted	12-Nov-20	11 Days
4	Biju Janata Dal	BJD	Submitted	17-Nov-20	16 Days
5	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	AIADMK	Submitted	25-Nov-20	24 Days
6	All India United Democratic Front	AIUDF	Submitted	01-Dec-20	30 Days
7	Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik)	JVM-P	Submitted	15-Dec-20	45 Days
8	Jharkhand Mukti Morcha	JMM	Submitted	15-Dec-20	45 Days
9	Dravida Munnetra Kazhagam	DMK	Submitted	24-Dec-20	53 Days
10	Janata Dal (United)	JDU	Submitted	28-Dec-20	58 Days
11	Nationalist Democratic Progressive Party	NDPP	Submitted	28-Dec-20	58 Days
12	Shiromani Akali Dal	SAD	Submitted	28-Dec-20	58 Days
13	All India Forward Bloc	AIFB	Submitted	31-Dec-20	60 Days
14	Pattali Makkal Katchi	PMK	Submitted	11-Jan-21	71 Days
15	Telugu Desam Party	TDP	Submitted	13-Jan-21	73 Days
16	AJSU Party	AJSU	Submitted	15-Jan-21	75 Days
17	Janata Dal Secular	JDS	Submitted	18-Jan-21	78 Days
18	Indian National Lok Dal	INLD	Audit reports are not available on the ECI website (As on 18 April, 2021)		
19	Maharashtra Navnirman Sena	MNS			
20	Sikkim Democratic Front	SDF			
21	Samajwadi Party	SP			
22	Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party	YSR-Congress			
23	Maharashtrawadi Gomantak Party	MGP			
24	Naga People Front	NPF			
25	Aam Aadmi Party	AAP			
26	Telangana Rashtra Samithi	TRS			
27	Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	DMDK			
28	All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen	AIMIM			
29	All India N.R. Congress	AINRC			
30	Asom Gana Parishad	AGP			
31	Bodoland Peoples Front	BPF			
32	Goa Forward Party	GFP			
33	Hill State People's Democratic Party	HSPDP			
34	Indian Union Muslim League	IUML			
35	Indigenous People's Front of Tripura	IPFT			
36	Jammu & Kashmir National Conference	JKNC			
37	Jammu & Kashmir National Panthers Party	JKNPP			
38	Janta Congress Chhattisgarh (J)	JCC (J)			
39	Kerala Congress (M)	KC-M			
40	Lok Jan Shakti Party	LJP			
41	Mizo National Front	MNF			
42	Mizoram People's Conference	MPC			
43	People's Democratic Front	PDF			

Regional Political Parties					
S.No.	Political Party	Party Code	Status of submission	Date of submission	No. of days by which delayed
44	People's Party of Arunachal	PPA			
45	Rashtriya Janata Dal	RJD			
46	Rashtriya Lok Samta Party	RLSP			
47	Rashtriya Loktantrik Party	RLP			
48	Revolutionary Socialist Party	RSP			
49	Shiv Sena	SHS			
50	Sikkim Krantikari Morcha	SKM			
51	United Democratic Party	UDP			
52	Zoram Nationalist Party	ZNP			

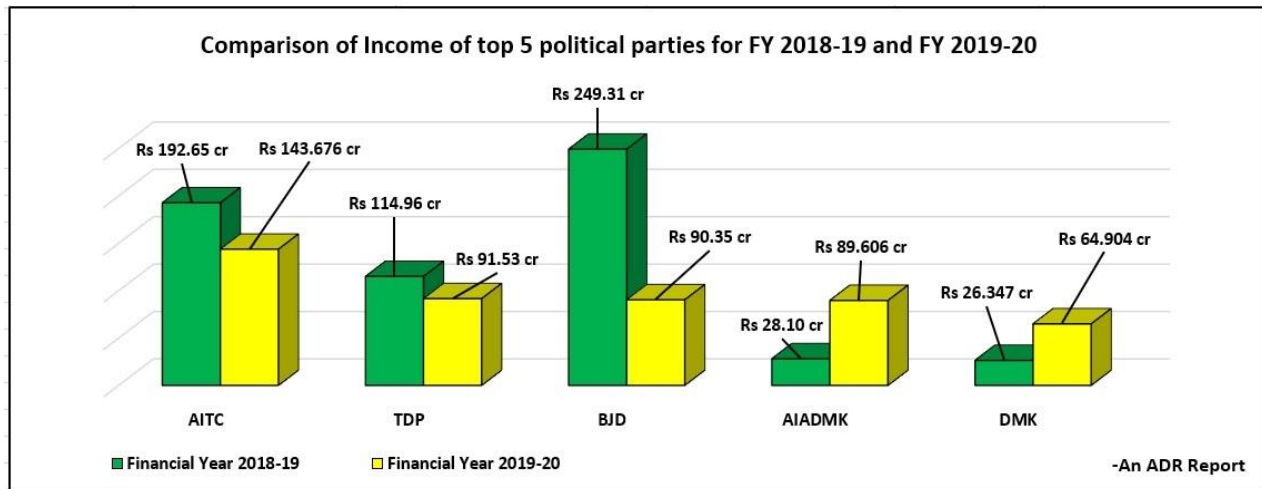
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित आय : वित्तीय वर्ष-2019-20

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दलों की कुल आय **रु 619.28 करोड़** थी।
- **तृणमूल कांग्रेस** ने सबसे अधिक **रु 143.676 करोड़** की आय घोषित की है जो **19 दलों** की कुल आय का **23.20%** है इसके बाद **टीडीपी** की कुल आय **रु 91.53 करोड़** (दलों की कुल आय का **14.78%**) और **बीजेडी** ने अपनी कुल आय **रु 90.35 करोड़** घोषित की है, जो सभी **19 दलों** की कुल आय का **14.59%** है।
- शीर्ष तीन दलों की कुल आय मिलाकर **रु 325.556 करोड़** है जो 19 दलों की कुल आय का **52.57%** है।



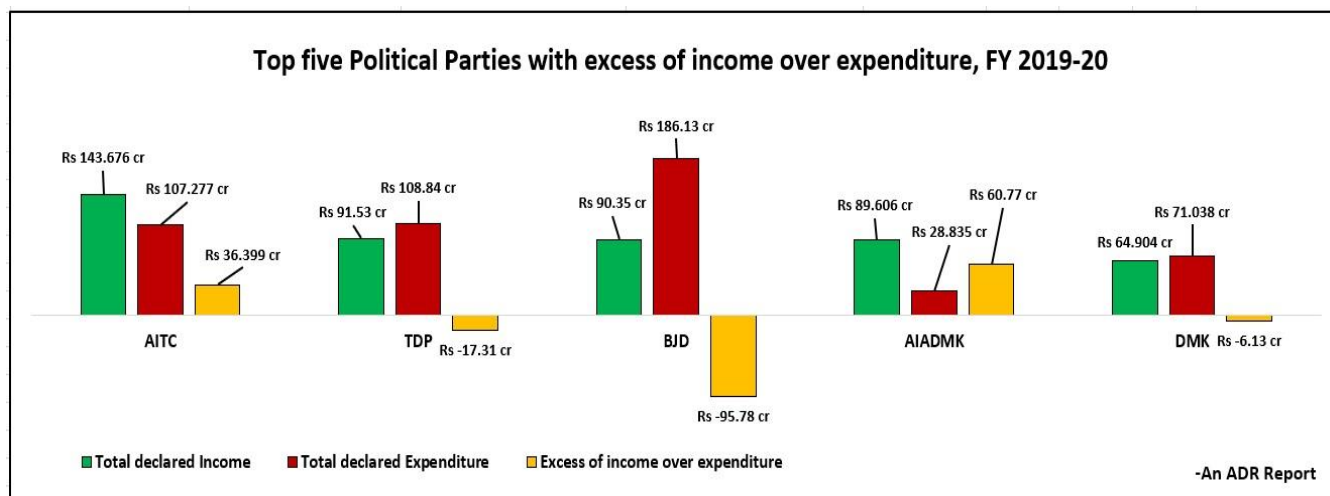
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की कुल आय की तुलना- वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के बीच

- 19 राजनीतिक दलों के ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है की 9 दलों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी आय में वृद्धि दर्शायी है जबकि 10 दलों ने अपने आय कम घोषित की है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, 19 राजनीतिक दलों की कुल आय रु 772.14 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 19.80% (रु 152.86 करोड़) घटकर रु 619.28 करोड़ हो गयी।
- एआईडीएमके ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में इस साल (वित्तीय वर्ष 2019-20) रु 61.506 करोड़ की आय अधिक दिखाई है इसके बाद डीएमके ने रु 38.557 करोड़ और एसएडी ने रु 11.59 करोड़ की आय में वृद्धि घोषित की है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में इस साल (वित्तीय वर्ष 2019-20) बीजेडी की आय में रु 158.96 करोड़ की कमी आयी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की आय में रु 48.974 करोड़ और टीडीपी की आय में रु 23.43 करोड़ की कमी देखी गई है।



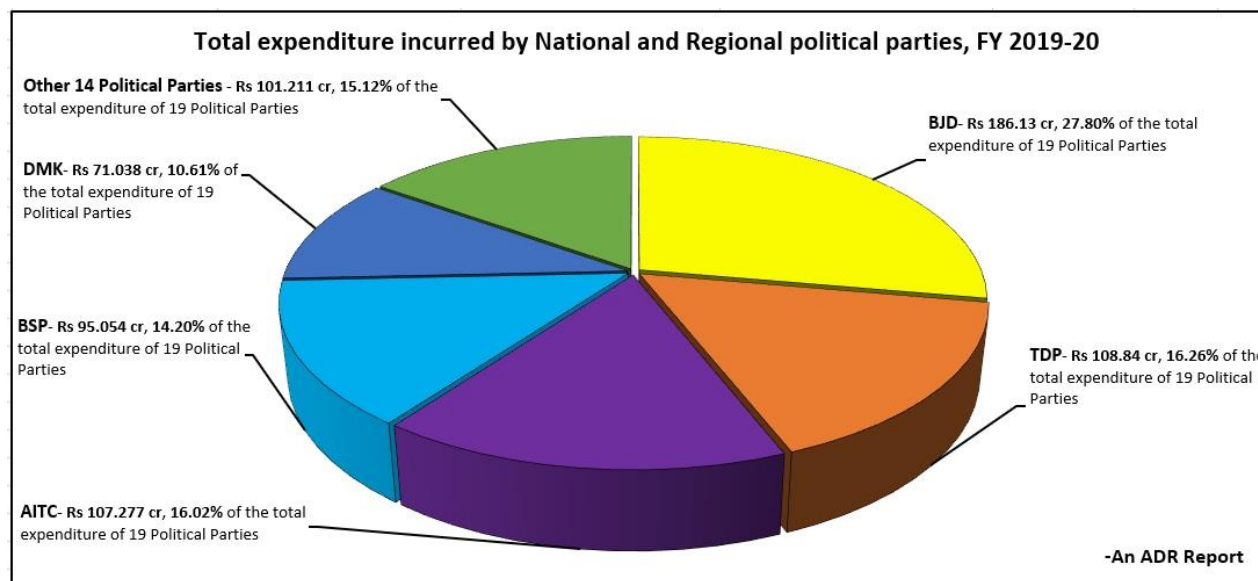
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा आय से अधिक खर्च या कम खर्च की गयी राशि: वित्तीय वर्ष 2019-20

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 19 दलों (2 राष्ट्रीय दलों को मिलाकर) में से 9 दलों ने अपनी आय से कम खर्च किया है जबकि 10 दलों ने अपनी एकत्रित आय से अधिक खर्च घोषित किया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, एआईडीएमके ने अपने कुल आय का 67.82% जेएमएम ने 58.58% और जेडीयू ने 54.27% की रकम खर्च नहीं किया है।
- इन 10 राजनीतिक दलों (टीडीपी, बीजेडी, बीएसपी, डीएमके, जेडीएस, एजेएसयू, जेवीएम-पी, पीएमके, एआईएफबी और जेकेपीडीपी) ने अपनी आय से अधिक खर्च किया है। बीजेडी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में आय से रु 95.78 करोड़ (106%) का अधिक खर्च दर्शाया है।



राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का व्यय : वित्तीय वर्ष 2019-20

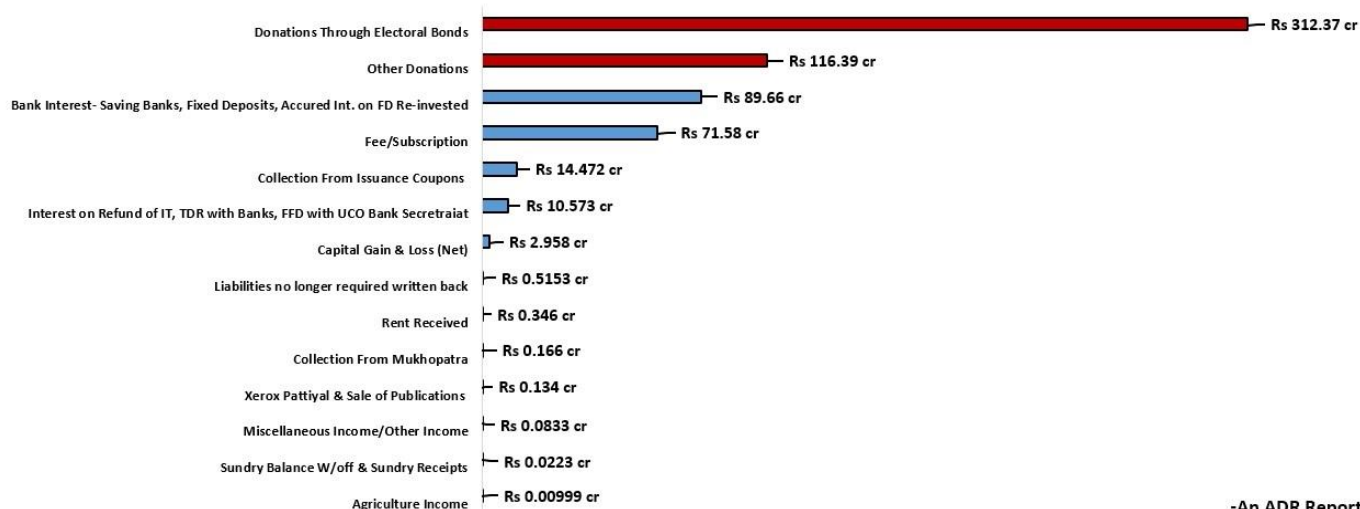
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान **2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दलों** की कुल खर्च **रु 669.55 करोड़** थी।
- शीर्ष तीन दलों ने कुल मिलाकर **रु 402.247 करोड़** खर्च किये जो **19 राजनीतिक दलों** के कुल खर्च का **60.08%** था।
- सबसे ज्यादा खर्च करने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रीय दलों में **बीजेडी** ने **रु 186.13 करोड़** (19 दलों के कुल खर्च का 27.80%) का खर्च घोषित किया है। इसके बाद **टीडीपी** ने **रु 108.84 करोड़** (19 दलों के कुल खर्च का 16.26%) और **तृणमूल कांग्रेस** ने **रु 107.277 करोड़** (19 दलों के कुल खर्च का 16.02%) का खर्च दर्शाया है।



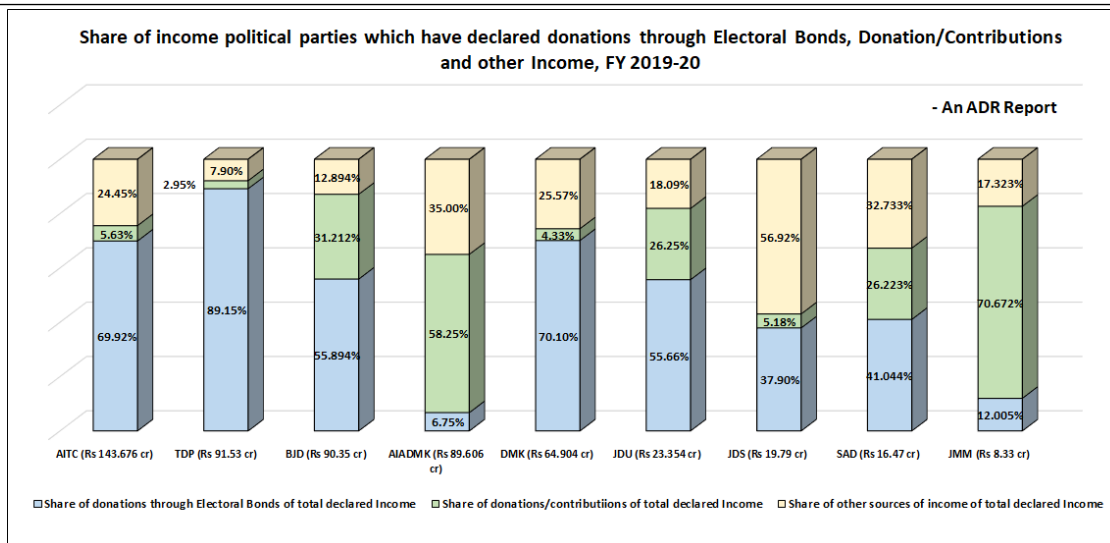
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित सभी आय के स्त्रोत : वित्तीय वर्ष 2019-20

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दलों ने **स्वैच्छिक योगदान** (दान और चुनावी बांड्स) से कुल **69.235%** (रु 428.76 करोड़) की आय अर्जित की है।
- 19 राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर **रु 312.37 करोड़** (19 दलों की कुल आय का **50.441%**) की राशि **चुनावी बांड्स** के माध्यम से प्राप्त किया है जबकि अन्य दान से दलों को **रु 116.39 करोड़** (19 दलों की कुल आय का **18.794%**) की राशि मिली है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, **2 राष्ट्रीय** दलों में से केवल **तृणमूल कांग्रेस** ने ही **चुनावी बांड्स** के माध्यम से **रु 100.46 करोड़** की राशि घोषित की है बाकी के **17 क्षेत्रीय दलों** में से केवल **8 दलों** ने ही कुल मिलाकर **रु 211.91 करोड़** की धनराशि **चुनावी बांड्स** से दर्शाया है।
- **बैंक ब्याज** के माध्यम से 19 क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर **14.48%** या **रु 89.66 करोड़** की आय प्राप्त की है।

Declaration of sources of income under various Heads : 2 National & 17 Regional Parties for FY 2019-20



-An ADR Report



एडीआर का अवलोकन

- 6 राष्ट्रीय और 35 क्षेत्रीय दलों के ऑडिट रिपोर्ट आज की तारीख तक (168 दिन बाद तक) भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आय एकत्रित करने के लिए सबसे मुख्य स्रोत चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान है। चुनावी बांड द्वारा दान दाताओं को प्रदान की गई गुमनामी को देखते हुए पिछले दो सालों से चुनावी बांड राजनीतिक दलों का सबसे लोकप्रिय स्रोत बनके उभरा है। यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए की झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने दान रिपोर्ट में चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त ₹ एक करोड़ देने वाले दानकर्ता का नाम घोषित किया है, हालाँकि पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त इस आय को घोषित नहीं किया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के विश्लेषण से पता चलता है की 19 राजनीतिक दलों की कुल आय में से ₹ 312.37 करोड़ (19 दलों की कुल आय का 50%) की आय चुनावी बांड्स के माध्यम से प्राप्त हुई है जो गुमनाम है तथा इन दान दाताओं की पहचान सार्वजनिक तौर से प्रकट नहीं की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 3429.56 करोड़ के चुनावी बांड्स भुनाए गए थे, जिसमें से केवल ₹ 312.37 करोड़ (9%) चुनावी बांड्स की ही जानकारी उपलब्ध है, शेष ₹ 3117.19 करोड़ (91%) के चुनावी बांड्स की जानकारी (राजनीतिक दलों के ऑडिट रिपोर्ट्स आयोग की वेबसाइट पर) उपलब्ध नहीं है।
- तीन राजनीतिक दलों (जेडीएस- ₹ 11 करोड़, जेवीएम-पी- ₹ 3.242 करोड़ और शिरोमणि अकाली दल - ₹ 23 लाख) ने कूपन की बिक्री से आय घोषित की है। राजनीतिक दलों द्वारा चंदा/दान एकत्र करने के तरीकों में से एक कूपन भी है, इसलिए इसे पार्टी द्वारा ही मुद्रित किया जाता है। कूपन को मुद्रित करने की कोई सीमा नहीं है, कूपन प्रणाली के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत पार्टी ही होती और कोई नहीं। कूपन प्रणाली भारत के चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है और इस पर आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2 राष्ट्रीय और 17 क्षेत्रीय दलों का मुख्य खर्च चुनाव व्यय, प्रशासनिक और सामान्य व्यय है।

एडीआर के सुझाव

- सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितम्बर 2013 को यह घोषित किया कि उम्मीदवारों के शपथपत्र का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए इसी के तर्ज पर फार्म 24ए (जोकि राजनीतिक दलों द्वारा रु 20,000 से ज्यादा दान देने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है) का भी कोई हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए ।
- क्योंकि राजनीतिक दलों की आय का अधिकतम प्रतिशत (75 प्रतिशत) अज्ञात स्रोतों से आता है, दानदाताओं की पूरी जानकारी, सार्वजनिक जाँच के लिए आम जनता को उपलब्ध होनी चाहिए । भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, बल्गेरिया, अमेरिका तथा जापान जैसे देशों में ऐसा किया जाता है । इन देशों में से किसी भी देश में राजनीतिक दलों के आय स्रोत का 75 प्रतिशत अज्ञात रहना असम्भव होगा ।
- वित्त विधेयक 2017 के अनुसार इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 13A में यह संशोधन किया गया था की सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को कर में छूट दी जाएगी “बशर्ते वो राजनीतिक दल जो अपने पिछले साल का आयकर विवरण (ऑडिट रिपोर्ट) एक निश्चित प्रारूप में नियमित तारीख तक आयकर विभाग को जमा करता है” । इस प्रकार जो दल निर्धारित तारीख पर या उससे पहले अपना ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभाग को जमा नहीं करता है ऐसे दलों को कर में छूट नहीं देनी चाहिए और इनकी मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए ।
- चुनावी बॉन्ड्स ने चुनावी फंडिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर नागरिकों के मौलिक 'जानने का अधिकार' का उल्लंघन किया है । इस तरह कि अपारदर्शिता बड़े सार्वजनिक हित कि कीमत पर है और पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धांतों के लिए एक गंभीर झटका है इसलिए चुनावी बॉन्ड्स योजना, 2018 को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए ।
- योजना की निरंतरता के मामले में, बॉन्ड दानदाता की गुमनामी के सिद्धांत को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 में सार्वजनिक किया जाना चाहिए । सभी राजनीतिक दलों को जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने योगदान में दिए गए वित्तीय वर्ष में प्राप्त दान की कुल राशि के साथ प्रत्येक बॉन्ड के अनुसार दानदाताओं के विस्तृत विवरणों, प्रत्येक बॉन्ड की राशि और प्रत्येक बॉन्ड को प्राप्त क्रेडिट के पूर्ण विवरण की घोषणा करनी चाहिए । यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति की एक सच्ची तस्वीर आम जनता के सामने आए, इसके लिए प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकृत किया जाना चाहिए ।
- राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत अपने वित्त संबंधित सभी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो राजनीतिक दलों, चुनावों और लोकतंत्र को मजबूत करेगा ।
- चुनाव आयोग या अन्य संबंधित संस्थान को चुनावी बांड का नकदीकरण और दलों द्वारा घोषित बांड्स के भिन्नता की देखरेख की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ।
- आईसीएआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले राजनीतिक दलों को आयकर विभाग द्वारा जाँच किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की आय और व्यय से संबंधित सारे रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध हैं , कृपया [क्लिक करें](#)

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल सभी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज से लिया गया है <https://eci.gov.in/candidate-political-parties/annual-audit-reports/annual-audit-reports/> रिपोर्ट बनाते समय उपलब्ध जानकारी का पूर्ण ध्यान रखा गया है। यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए ऑडिट रिपोर्ट का विवरण ही ठीक माना जायेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म, और उनके स्वयंसेवक जिम्मेदार नहीं होंगे।

सम्पर्क

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org	Maj. Gen Anil Verma (Retd.) Head ADR & NEW +91 11 4165 4200 +91 88264 79910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd.) Founder Member ADR & NEW +91 99996 20944 ichhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder Member, ADR & NEW +91 94483 53285 tsastry@gmail.com
--	---	---	---